न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :—श्री हरफूलसिह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :—304/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :— 2024/304

अपीलाण्ट :—

1. वचनापुत्र श्री मेगा
2. जबरा पुत्र श्री लाभु
3. चेला पुत्र श्री लागू
4. सुकी पत्नी श्री लागू
5. जेसाराम पुत्र श्री पाबुराम
6. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री पाबुराम
7. सुकी देवी पत्नी श्री पाबूराम
8. हरदानाराम पुत्र श्री प्रभूराम
9. बगदाराम पुत्र श्री प्रभूराम

सभी जाति रेबारी निवासी वियो का गोलिया, तहसील भीनमाल जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट :—

1. भावाराम पुत्र श्री मेजलाराम के का. मु.

1/1 टिपूदेवी पत्नीस्व. श्री भावाराम

1/2. हरिराम पुत्र स्व. श्री भावाराम

1/3. प्रहलादराम पुत्र स्व. श्री भावाराम

1/4. मूलाराम पुत्र स्व. श्री भावाराम

1/5. अर्जुनराम पुत्र स्व. श्री भावाराम

1/6. केलीदेवी पुत्री स्व. श्री भावाराम

1/7. गंगादेवी पुत्री स्व. श्री भावाराम

जतिगण रेबारी निवासी वियो का गोलिया, तहसील भीनमाल जिला जालोर। —आवेदक

2. हरसन पुत्र श्री सुजानाराम जाति रेबारी निवासी वियो का गोलिया, तहसील भीनमाल जिला जालोर।

3. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार भीनमाल।

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956</u>
<u>विरूद्ध आदेश दिनांक 26.06.2024 राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 06/2023</u>
<u>अनवान भावाराम बनाम वचनाराम वगेरा में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,</u>
<u>भीनमाल द्वारा पारित आदेश</u>

उपस्थिति :—
1. श्री लाधूराम पुनिया, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।
2. श्री गजेन्द्र दवे, विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

:: निर्णय ::

दिनांकः- 29.11.24

1. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीनमाल प्रकरण संख्या 06/2023 बअनवान भावाराम बनाम वचनाराम वगैरा में निर्णय दिनांक 20.06.2024 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया।

3. बहस वकुलाय सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलाण्टके अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भीनमाल का अपीलाधीन आदेश विधि, न्याय एवं अभिलेख के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने के योग्य है।

विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौके की जांच रिपोर्ट प्राप्त किये बिना कार्यवाही विधि न्याय के विरुद्ध की गयी है। जो आदेश प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तो के खिलाफ होने से निरस्त किये जाने के योग्य है।

प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने खेत के व विप्रार्थीगण के खेतो के बीच किसीप्रकार का कोई माठ सेढा नही होने का झुठा कथन करके नेखमबंदी का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जबकि उनके खेत खसरा नम्बर 234 व ख0न0 767/235 ग्राम वियो का गोलिया तहसील भीनमाल के व अपीलार्थीगण के खेत ख0न0 233 व 230 मध्य वक्त सेटलमेन्ट से माठ सेढा कायम चला आ रहा है। उक्त वर्णित तथ्य मौके पर आज भी मौजुद है। प्रत्यर्थीगण ने मौके के वास्तविक तथ्य को छिपाकर नेखमबंदी का आदेश प्राप्त करने की गरज से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिसके तथ्यो को खण्डन करते हुए अपीलार्थीगण ने जबाब प्रस्तुत किया परन्तु विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने प्रार्थनापत्र एवं जबाब प्रार्थना पत्र से जो विवादित तथ्य आये उनको तय किये बिना सीधा नेखमबंदी करने का आदेश प्रार्थी के पक्ष में पारित करने में गंभीर भूल की जो आदेश धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने के योग्य है।

विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने तहसीलदार से बिना सीमाज्ञान रिपोर्ट मंगवाये एवं स्वयं द्वारा मामले में सीमाज्ञान की स्थिति को रेकर्ड पर लिये बिना आदेश पारित किया है जो आदेश धारा 111. 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो के खिलाफ होने से निरस्त किये जाने के योग्य है।

29.11.24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के प्रार्थनापत्र को बिना कोई मौका जांच, साक्ष्य सबूत के स्वीकार करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है। जबकि मौके के कब्जे के बारे मे भी जांच कर आदेश पारित किया जाना धारा 111 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो अनुसार आवश्यक है। इसकारण अपीलाधीन आदेश एवं सम्पूर्ण कार्यवाही त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने के योग्य है।

विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भीनमाल का अपीलाधीन आदेश धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो का घोर उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है जो मनमाना एवं गैरकानूनी है जो निरस्त किये जाने के योग्य है।

मृतक खातेदार कनको के सभी वारिसान को आवश्यक पक्षकार बनाये बिना प्रत्यर्थी संख्या 1 का प्रार्थनापत्र कतई चलने योग्य नही था तथा अपीलार्थीगण ने मृतक खातेदार कनको के अन्य वारिस पुत्री समदा, ढफी व कानू होने का जबाब दावा मे उजर लिया है जिसकी अनदेख कर उस पर बिना कोई कार्यवाही किये अपीलाधीन आदेश पारित किया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने के योग्य है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.06.2024 को निरस्त व रद्द किये जाने का आदेश फरमावें एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 111. 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को सव्यय निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे। अन्य उचित आदेश जो मान्यवर न्यायालय न्यायहित में पारित किया जाना आवश्यक समझे तथा जो अपीलार्थीगण गण के पक्ष में हो सादिर फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में अभिकथन किया कि–

सरहद मौजा वियो का गोलिया तहसील भीनमाल मे अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नम्बर 234 रकबा 0.90 हेक्टयर, किस्म बारानी प्रथम, व नवीन खसरा नम्बर 767/235 रकबा 0.64 हेक्टयर, किस्म बारानी प्रथम, कुल रकबा 1.54 हेक्टयर स्थित है। जिसकी खातेदारी अप्रार्थी के नाम से राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हैं ।

अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि नवीन खसरा नम्बर 234 रकबा 0.90 हेक्टयर, किरम बारानी प्रथम, व नवीन खसरा नम्बर 767/235 रकबा 0.84 हेक्टयर, किरम बारानी प्रथम, कुल रकबा 1.54 हेक्टयर के उत्तर दिशा की तरफ, नवीन खसरा नम्बर 233 रकबा 2.14 हेक्टयर किस्म बारानी प्रथम की आई हुई है। जिसकी खातेदारी प्रार्थी सख्या 1 से 4 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। तथा यहा यह उल्लेख करना आवश्यक है। कि प्रार्थी सख्या 1 से 4 की आराजी के राजस्व रेकर्ड से प्रार्थी की माता, प्रार्थी सख्या 2 व 3 की दादी, तथा प्रार्थी सख्या 4 की सास कनको पत्नी मेगा की मृत्यु हो चुकी है। तथा कनको पत्नी मेगा के उत्तराधिकारी प्रार्थी सख्या 1 से 4 है। तथा कनको का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। लेकिन मृत्यु हो जाने से पक्षकार नहीं बनाया गया है।

अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि नवीन खसरा नम्बर 234 रकबा 0.90 हेक्टयर, किस्म बारानी प्रथम, व नवीन खसरा नम्बर 767/235 रकबा 0.64 हेक्टयर, किस्म बारानी प्रथम, कुल रकबा 1.54 हेक्टयर के पश्चिम दिशा की तरफ, नवीन खसरा नम्बर 230 रकबा 2.01 हेक्टयर किस्म बारानी प्रथम

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

की आई हुई है। जिसकी खातेदारी प्रार्थी सख्या 5 से 9 के नाम से राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है।

अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि नवीन खसरा नम्बर 234 रकबा 0.90 हेक्टयर, किस्म बारानी प्रथम, व नवीन खसरा नम्बर 767/235 रकबा 0.64 हेक्टयर, किस्म बारानी प्रथम, कुल रकबा 1.54 हेक्टयर के दक्षिण दिशा की तरफ, नवीन खसरा नम्बर 235 रकबा 0.55 हेक्टयर, किस्म बारानी प्रथम, व नवीन खसरा नम्बर 768/234 रकबा 0.64 हेक्टयर, किस्म बारानी प्रथम, कुल रकबा 1.19 हेक्टयर की आई हुई है। जिसकी खातेदारी प्रार्थी सख्या 10 के नाम से राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। यहा यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अप्रार्थी की खातेदारी व प्रार्थी सख्या 10 की खातेदारी के पूर्व खसरा नम्बर 234 व 235 कुल रकबा 2.73 हेक्टयर थे जिसका बटवाडा होने पर उक्त खसरा नम्बर 234 व 235 कुल रकबा 2.73 हेक्टयर के उपरोक्त नये खसरा नम्बर बनाये गये है।

अप्रार्थीगण व प्रार्थी सख्या 1 से 9 की आराजी के बीच स्थित माठ व सीमा को लेकर हमेशा विवाद होता रहता है। क्योकि प्रार्थी संख्या 1 से 9 बदमाश व झगडालू प्रवृति के होने से व सख्या बल में अधिक होने से तथा राजनैतिक रूप से काफी प्रभावशाली होने से हर रोज अप्रार्थी की उत्तरी व पश्चिमी माठ पर आकर माठ को नुकसान पहुंचाते रहते है। तथा झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकिया देते रहते है। प्रार्थी सख्या 1 से 9 का सामना नहीं कर सकता है। जिसका नाजायज फायदा प्रार्थी सख्या 1 से 9 उठाना चाहते है। और अप्रार्थीगण की आराजी की उत्तरी व पश्चिमी माठ को नुकसान करित कर अवैध कब्जा करना चाहते है। ऐसी स्थिति ने आराजी की सीमा को लेकर विवाद होने से अप्रार्थीगण व प्रार्थी सख्या 1 से 9 के मध्य कलह क्लेश व लडाई झगडा होने का खतरा हमेशा बना हुआ है। जिसको लेकर अप्रार्थीगण ने प्रार्थी सख्या 1 से 9 को इस संबंध में आपसी सहमति से सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाने का निवेदन किया तो प्रार्थी सख्या 1 से 9 ने इन्कार कर दिया एव उल्टा अप्रार्थीगण की आराजी की उत्तरी व पश्चिमी माठ को और अधिक नुकसान कारित करने की धमकी दी है।

अप्रार्थीगण ने श्रीमान तहसीलदार भीनमाल को पैमाईश करने का आवेदन किया था, जिस पर तहसीलदार भीनमाल द्वारा नियमानुसार दिनाक 11/11/2022 को पटवारी हल्का व निरिक्षक भू. अ. को मौके पर जाकर पैमाईश करने का आदेश दिया जिस पर दिनाक 06/04/2023 को पटवारी हल्का व निरिक्षक भू. अ. मौके पर पहुंचकर अप्रार्थीगण की आराजी की पैमाईश शुरू की, तब प्रार्थी सख्या 1 से 9, अप्रार्थीगण की आराजी के उत्तरी व पश्चिमी माठ की सीमा को लेकर विवाद करने लगे जिस कारण अप्रार्थीगण की सम्पूर्ण आराजी की पैमाईश नहीं हो सकी। तथा प्रार्थी सख्या 1 से 9 ने सीमांकन फर्द पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया। तथा पटवारी हल्का व निरिक्षक भू. अ. द्वारा आधी अधूरी पेमाईश रिपोर्ट बनाकर श्रीमान तहसीलदार भीनमाल के समक्ष पेश की। जिससे भलीभाति प्रमाणित है कि प्रार्थी सख्या 1 से 9 मौके पर सीमा व माठ को लेकर विवाद उत्पन्न कर रहे है।

प्रार्थी सख्या 1 से 9 प्रार्थी के खेत की उत्तरी व पश्चिमी माठ को नुकसान पहुंचाते रहते है। तथा अवैध रूप से कब्जा करने की फिराक मे रहते है। इसलिए मौके पर हमेशा तनाव बना रहता है तथा कई बार विवाद उत्पन्न होने का भी खतरा बना हुआ है। इसलिए समय रहते अप्रार्थीगण

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

की आराजी नवीन खसरा नम्बर 234 रकबा 0.90 हेक्टयर, किस्म बारानी प्रथम, व नवीन खसरा नम्बर 767/235 रकबा 0.64 हेक्टयर किस्म बारानी प्रथम, कुल रकबा 1.54 हेक्टयर की पैमाईश करवाई जाकर माठ पर स्थाई सीना चिन्ह कायम किया जाना न्यायोचित है।

अप्रार्थीगण व प्रार्थी सख्या 1 से 9 की आराजी के बीच स्थित उत्तरी व पश्चिमी माठ का सीमांकन तहसीलदार भीनमाल के नैतृत्व में राजस्व कर्मचारियो की टीम गठित कर स्थाई बिन्दु से पैमाईश कर माफिक प्रार्थना पत्र पत्थरगढी व स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित करवाया जाना न्यायोचित है।

अतः श्रीमान से निवेदन है। कि सरहद मौजा वियो का गोलिया तहसील भीनमाल मे अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नम्बर 234 रकबा 0.90 हेक्टयर, किस्म बारानी प्रथम, व नवीन खसरा नम्बर 767/235 रकबा 0.64 हेक्टयर, किस्म बारानी प्रथम, कुल रकबा 1.54 हेक्टयर स्थित की स्थाई बिन्दु से पैमाईश करवाई जाकर उक्त आराजी की उत्तरी व पश्चिमी माठ का सीमांकन किया जाकर स्थाई सीमा चिन्ह (पत्थरगढी या कटीले तारो की माठ या सीमेन्ट के पील्लरो या छीणो की पटटी की माठ) कायम करावे।

6. प्रकरण में उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।वकील अपीलाण्ट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व मौके की जांच रिपोर्ट प्राप्त किये बिना कार्यवाही विधि न्याय के विरूद्ध की गई है। अप्रार्थी ने खेतो के बीच किसी प्रकार का कोई माठ सेढा नही होने का झूठा कथन करके नेखमबंदी का प्रा.पत्र प्रस्तुत किया है। इस मामले में सीमाज्ञान की स्थिति को रेकर्ड पर लिये बिना आदेश पारित किया है। वकील रेस्पो. का कथन है कि अपीलाण्ट बदमाश व झगडालू प्रवृति के होने से व संख्या बल में अधिक होने से तथा राजनैतिक रूप से काफी प्रभावशाली होने से हर रोज रेस्पो. की माठ पर आकर माठ को नुकसान पहुचाते है एवं अवैध कब्जा करना चाहते है। निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है इसलिए निर्णय को यथावत रखा जावे।

7. पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषको की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलीयों का बगौर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार, भीनमाल से न तो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में जवाब लिया तथा न ही विस्तृत जांच रिपोर्ट जैर अपील प्रकरण मे प्राप्त की गई एवं न ही सी.पी.सी. के प्रावधानो के अनुसार सुना गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जांच रिपोर्ट के निर्णय पारित कर दिया जिसको यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीनमाल के प्रकरण संख्या 06/2023 दिनांक 26.06.2024 को अपास्त किया जाता है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीनमाल को प्रकरण इन दिशा निर्देशो

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि धारा 111 व 128 एलआरएक्ट के प्रावधानो की अक्षरशः पालना करते हुए, वादग्रस्त आराजी के संबंध में तहसीलदार, भीनमाल से मौका एवं रेकर्ड की रिपोर्ट ली जाये तथा अपीलाण्ट्स को सुनवाई तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद विधि सम्मत निर्णय पारित करै। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

29.11.24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

9. यह निर्णय आज दिनांक 29.11.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

29.11.24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)